न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी– सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

प्रा.प. संख्या 06 / 2020

हीरालाल पुत्र गणपतराम जाति खटीक निवारी ग्राम हर्ष तहसील व जिला सीकर

–प्रार्थी –

बनाम

1. कुरडी देवी
2. मोहनी देवी पुत्रियां पूर्णमल उर्फ पुराराम
3. नेमीचन्द
4. मुलचन्द
5. श्यामलाल पुत्रगण देबुराम
6. सुप्यार बेवा देबुराम
7. केशरराम पुत्र धन्ना
8. गोपाल
9. बन्शील... पुत्रगण चुन्नीलाल
10. दाखा पत्नि चुन्नीलाल समस्त जाति मेघवंशी (बलाई) निवासीगण हर्ष तहसील व जिला सीकर

– अप्रार्थीगण –

आवेदन अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश

दिनांक – 16·1·2023

...र्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए के तहत प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्राथी के कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 770 एवं 771 किता 2 कुल रकबा 5.52.00 है0 ग्राम हर्ष तहसील व जिला सीकर में अवस्थित है। आवेदक की कृषि भूमियों में आवागमन का एक मात्र रास्ता अनावेदकगण संख्या 1 ता 7 की कृषि भूमियां खसरा नम्बर 1810/772, 1811/772 एवं 1812/772 में से पश्चिमी दिशा की और पगडण्डी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो मौके पर अप्रार्थीगण ने बन्द कर रखी है। जो खसरा नम्बर 771 में प्रवेश करती है। इसके अलावा आवेदक की भूमियों में आवागमन हेतु सुविधाजनक एवं

नजदीकी रास्ता नहीं है। आवेदक को अपनी भूमियों की जुताई आदि के लिये ट्रेक्टर आदि ले जाना पड़ता है। अतः आवेदक को अनावेदक संख्या 8 ता 10 की भूमि खसरा नम्बर 773 की दक्षिणी सींव के सहारे सहारे करीब 12 फिट चौड़ा रास्ता हर्ष से भोया जाने वाले कटानी रास्ते से खसरा नम्बर 773 की पूर्वी सींव के सहारे सहारे लेना चाहता है।

प्रकरण प्राप्त होने पर रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली गई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार से रास्ते बाबत नियमानुसार प्रस्ताव मंगवाये जाने हेतु तहरीर जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 6 तथा 8 व 9 जरिये वकील उपस्थित रहे जवाब प्रस्तुत नहीं किया । शेष के खिलाफ कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। तहसीलदार की रिपोर्ट क्रमांक भू अ/2023/169 दिनांक 5.1.2023 प्राप्त हुई। अप्रार्थीगण के वकील द्वारा बहस में हिस्सा नहीं लिया। इसलिये बहस वकील एक पक्षीय सुनी गई। वकील प्रार्थी ने इस रिपोर्ट के अनुसार रास्ता कटान पर किये जाने में अपनी सहमती प्रदान की ।

बहस वकील एक पक्ष सूनी गई। हमने बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं प्रस्ताव तहसीलदार का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । रिपोर्ट तहसीलदार सीकर का अवलोकन किया गया जिसमें अंकित किया गया है कि प्रस्तावित रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत में आवागमन के लिये अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा लघुतम दुरी भी प्रस्तावित रास्ते की ही है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हैतु रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ता प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है।

उपर्यूक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये रास्ते की अत्यन्त आवश्कता है तथा रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आवागमन हेतु लघुतम दुरी का रास्ता नजरी नक्शे में दर्शाया गया है। इस प्रकार प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु रास्ता दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार के प्रस्ताव क्रमांक भू.अ/2023/169 दिनांक 5.1.2023 में दिये गये नजरी नक्शे के अनुसार ग्राम हर्ष तहसील व जिला सीकर की कृषि भूमि खसरा नम्बर 773 में से 4 मीटर चौड़ा एवं 152 मीटर लम्बा रास्ता प्रार्थी की कृषि भूमि में आवागमन हैतु कटान में किये जाने के आदेश दिये जाते है। अप्रार्थीगण यदि भूमि के बदले भूमि लेना चाहे तो तहसीलदार के प्रस्तावानुसार भूमि प्राप्त कर सकते है। यदि प्रतिफल लेना चाहे तो रास्ते में प्रयुक्त होने वाली भूमि का डी.एल.सी दर का दो गुना के हिसाब से अप्रार्थीगण को प्रार्थी द्वारा अदा किये जाने के

के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार का प्रस्ताव क्रमांक भू.अ/2023/169 दिनांक 5.1.2023 मय नजरी नक्शा निर्णय के भाग रहेगें। तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि दोनों विकल्पों में से अप्रार्थीगण जो भी विकल्प लेना चाहे उसके अनुसार आदेश की पालना करें।

निर्णय आज दिनांक 16.1.2023 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

(गरिमा लाटा)
उपखण्ड अधिकारी सीकर